



215

401

322

व्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा
R. 5/02/115 म0प्र0

1. विमला सिंह पत्नी स्व0 रवीन्द्र बहादुर सिंह उम्र 75 वर्ष पेशा घरुकार्य
2. राजेन्द्र बहादुर सिंह तनय स्व0 रवीन्द्र बहादुर सिंह उम्र 53 वर्ष पेशा ठेकेदारी दोनों निवासी शास्त्री नगर शहडोल, तहसील/जिला शहडोल म0प्र0

—आवेदकगण

बनाम

सरोज सिंह पत्नी स्व0 भोला सिंह निवासी ग्राम छमुहा पोस्ट डभौरा तहसील जवा जिला रीवा म0प्र0

—अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार साहब

बृत डभौरा तहसील जवा जिला रीवा

म0प्र0 राजस्व प्रकरण क्रमांक

34/अ-6/2012-13 आदेश दिनांक

15.05.2013

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है:-

अनावेदिका द्वारा आवेदन पत्र आवेदकगण की मां को स्व0 लिखकर इल्लाबी यह कहते हुए कि उनके पति स्व0 भोला सिंह के नाम पर 75 एकड़ भूमि है, किन्तु उन भूमियों के संबंध में कोई विवरण नहीं दिया गया था अपीलार्थी के पट्टे कब्जे की भूमि को श्रीमती सरोज सिंह द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक-26/बी121/05-06 को नायब तहसीलदार बृत डभौरा

M

286

(25)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

जवा
प्रकरण
आदेश
ग्रामस्थ
34/अ-6/2012-13
15.05.2013
विग्रह

प्रकरण क्रमांक निग05102-II / 2015

जिला—रीवा

विमला सिंह/सरोज सिंह

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सूर्यनाथ पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, वृत्त डभौरा, तहसील जवा के प्रकरण क्रमांक 34/अ-6/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 15.05.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">M B.M. Sharma सदस्य</p>	

नाब्यवह

5